(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 03/2024

रजिस्ट्रेशन सं0 :— 2024/19

बउनवान

शिवकुमारी आयु 74वर्ष पत्नी स्व. श्री रणजीतसिंह राजपूत निवासी सारथल तह. छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(अपीलांट)

बनाम

1. डिंपल कंवर आयु 40वर्ष पत्नी पुरूसिंह पुत्री स्व. श्री जयेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ हाल निवासी गढ लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
2. मनस्वी राठौर आयु 11वर्ष पुत्री पुरूसिंह जाति राजपूत नाबालिगान की वलिया माता डिंपल कंवर पत्नी पुरूसिंह जाति राजपूत निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ हाल मुकाम गढ लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
3. गौरवी राठौर आयु 05वर्ष पुत्री पुरूसिंह जाति राजपूत नाबालिगान की वलिया माता डिंपल कंवर पत्नी पुरूसिंह जाति राजपूत निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ हाल मुकाम गढ लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
4. तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1929 दिनांक 18.09.2023 वाके ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :— 1— श्री सैफ अली खान अभिभाषक (अपीलांट)
2— श्री आशीष भारद्वाज अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 1 ता 3)
3— पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 4)

निर्णय दिनांक 20.12.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1929 दिनांक 18.09.2023 वाके ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 12.01.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ता 03 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 04 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार [illegible] प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:52:29 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा बहस में कहा गया कि यह कि आराजी खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.0486 हेक्टर, खसरा नम्बर 1101 रकबा 0.0081 हेक्टर, खसरा नम्बर 1102 रकबा 0.1376 हेक्टर, खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.04[illegible] हेक्टर, खसरा नम्बर 11[illegible] रकबा 0.0243 हेक्टर, खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.0647 हेक्टर, खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.0324 हेक्टर, खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.3318 हेक्टर, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.3157 हेक्टर, खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.0971 हेक्टर, खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.0324 हेक्टर, खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.2671 हेक्टर, खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.1457 हेक्टर, खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.0243 हेक्टर, खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.0486 हेक्टर, खसरा नम्बर 1612 रकबा 0.0162 हेक्टर, खसरा नम्बर 1613

रकबा 0.0324 हेक्टर, खसरा नम्बर 1614 रकबा 0.0324 हेक्टर, खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.6799 हेक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.0809 हेक्टर, खसरा नम्बर 1617 रकबा 0.2752 हेक्टर, खसरा नंबर 1618 रकबा 0.0243 हेक्टर, खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.0647 हेक्टर, खसरा नम्बर 1849/1620 रकबा 1.6187 हेक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.0081 हेक्टर व खसरा नम्बर 434 रकबा 0.0081 हेक्टर किता 26 रकबा 4.4598 हेक्टर माल सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारों राजस्थान में वाके है उक्त आराजीयात मुताबिक जमाबंदी संख्या 220 सम्वत् 2074–77 हिस्सा 1/4 से पुरूसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद के खातेदारी में दर्ज थी।

यह कि आराजी खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.0971 हेक्टर, खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.0728 हेक्टर, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.0405 हेक्टर, खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.0486 हेक्टर खसरा नम्बर 1073 रकबा 2.1610 हेक्टर, खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.0567 हेक्टर, खसरा नम्बर 1475 रकबा 0.0405 हेक्टर, खसरा नम्बर 1476 रकबा 0.0405 हेक्टर खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.4371 हेक्टर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.1133 हेक्टर, खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.0486 हेक्टर, खसरा नम्बर 1480 रकबा 0.0486 हेक्टर, खसरा नम्बर 1481 रकबा 0.0324 हेक्टर, खसरा नम्बर 1482 रकबा 0.0567 हेक्टर, खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.6070 हेक्टर, खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.2995 हेक्टर, खसरा नम्बर 1486 रकबा 0.0971 हेक्टर खसरा नम्बर 1487 रकबा 0.6232 हेक्टर खसरा नम्बर 1488 रकबा 0.0324 हेक्टर माल सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारों में वाके है। उक्त आराजीयात मुताबिक जमाबंदी संख्या 451 सम्वत् 2074–77 हिस्सा 1/20 से पुरूसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारां के खातेदारी में दर्ज है।

यह कि आराजी खसरा नम्बर 1484 रकबा 0.5827 हेक्टर माल सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारां में वाके है। उक्त आराजीयात मुताबिक जमाबंदी संख्या 448 सम्वत् 2074–77 हिस्सा 1/20 से पुरूसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारां के खातेदारी में दर्ज है। सहखातेदार श्री पुरूसिंह पुत्र रणजीतसिंह निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारां का स्वर्गवास दिनांक 7–8–2023 को हो गया है।

यह कि श्री पुरूसिंह हिन्दू थे तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते थे मृतक पुरूसिंह जी की मृत्यु के समय हस्ब उत्तराधिकार निम्न वारिस थे–

1. शिवकुमारी (माता) –अपीलान्ट
2. डिम्पल कंवर (पत्नी) रेस्पोडेन्ट नम्बर–1
3. मनस्वी (पुत्री) रेस्पोडेन्ट नम्बर–2

मृतक पुरूसिंह जी के उपरोक्त वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं था और पुरूसिंह जी की मृत्यु के पश्चात अपील के मद नम्बर 1 ता 3 में वर्णित आराजीयात अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के नाम ही जर्ये फौती इन्तकाल दर्ज होना था इस संबंध में विधिक व्यवस्था निम्न हैं –

Sec 8 of the Hindu succassion Act 1956

General rules of succession in the case of male

The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provision of this chapter

a. Firstly upon the heirs, being the relatives in class I of the schedule Heir in class I son, daughter, widow, mother son of a pre deceased son, daughter of a pre deceased son, son of a pre deceased daguther, daughter of a pre deceased daughter, widow of a pre deceased son, son of a pre deceased son of a pre deceased son, daughter of a pre deceased son of a pre deceased son, widow of a pre deceased son of a pre deceased son.

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:32:29 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त अनुसूची के मुजब मृतक पुरूसिंह जी के पुत्री मनस्वी राठौर पत्नी डिम्पल कंवर एवं माता शिवकुमारी के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है जबकि गौरवी राठौड पुरूसिंह जी की पुत्री नहीं है लिहाजा गौरवी राठौर का नाम गलत तरीके से दर्ज

किया गया है, वही अपीलान्ट पुरूसिंह जी की माता होने से उनका नाम बतौर वारिस दर्ज होना चाहिए था। लेकिन इन्तकाल निर्णित करते समय उनका नाम दर्ज ही नहीं किया। लिहाजा इन्तकाल कतई गेर विधिक सम्मत हैं। इन्तकाल निर्णित करते समय सहखातेदारान को तलब ही नहीं किया गया। उक्त इन्तकाल की जानकारी अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड की नकले केसीसी ऋण स्वीकृत कराने वास्ते दिनांक 5–12–2023 को प्राप्त की तब हुआ लिहाजा ज्ञान की तारीख से अपील अवधि मध्य पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल संख्या 1929 वाके ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां खारिज फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया जावे कि अपीलांट का नाम भी इंतकाल में पुरूसिंह के वारिसान के रूप में अंकित किया जावे।

रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ता 03 के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अपील ग्राम पंचायत सारथल तहसील छीपाबड़ौद द्वारा दिनांक 18.09.2023 को अपीलांट ने रेस्पो. क्रम 01 ता 03 के पक्ष में सही रूप से तस्दीक किये गये इंतकाल नं. 1929 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद में अपील की मद नंबर 1 में दर्ज कुल 26 किता की 4.4598 हेक्टर कृषि आराजियात स्थित चली आ रही है जिसमें रेस्पो. क्रम 01 के पति व रेस्पो. क्रम 02 व 03 के पिता पुरूसिंह पुत्र रणजीत सिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज है जिसका अंकन जमाबंदी खाता संख्या 220 पर संवत् 2074–77 में दर्ज हो रहा है।

इसी प्रकार ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां में अपील की मद नं. 02 में दर्ज कुल 19 किता की 4.9536 हेक्टर कृषि आराजियात स्थित चली आ रही है जिसमें रेस्पो. क्रम 01 के पति व रेस्पो. क्रम 02 व 03 के पिता पुरूसिंह पुत्र रणजीत सिंह का 1/20 हिस्सा दर्ज है जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं. 451 पर संवत् 2074–77 में दर्ज हो रहा है।

इसी प्रकार ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां में अपील की मद नं. 03 में दर्ज खसरा नं. 1484 की 0.5827 हेक्टर कृषि आराजियात स्थित चली आ रही है जिसमें रेस्पो. क्रम 01 के पति व रेस्पो. क्रम 02 व 03 के पिता पुरूसिंह पुत्र रणजीत सिंह का 1/20 हिस्सा दर्ज है जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं. 448 पर संवत् 2074–77 में दर्ज हो रहा है।

रेस्पो. क्रम 01 के पति व रेस्पो. क्रम 02 व 03 के पिता व सहखातेदार पुरूसिंह का देहावसान दिनांक 07.08.2023 को हो गया है और पुरूसिंह के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक की बेवा पत्नी डिंपल कंवर व उसकी पुत्री मनस्वी राठौड़ व गौरवी राठौर रेस्पो. क्रम 1 ता 3 के कानूनन एकमात्र वारिसान व उत्तराधिकारी मौजूद है। रेस्पो. क्रम 01 ता 03 के अलावा अन्य कोई कानूनन उत्तराधिकार नहीं है। इसी कारण ग्राम पंचायत सारथल द्वारा मृतक के वारिसान की पूर्ण जांच कर सही तौर पर रेस्पो. क्रम 01 ता 03 को मृतक के कानूनन वारिसान मान कर इंतकाल नं. 1929 नियमानुसार तस्दीक किया है। अपील में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार रणजीत सिंह के खाते की भूमि थी तथा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अपील विषयक भूमि अपीलांट विधवा पत्नी, पुरूसिंह पुत्र व दोनों पुत्रियों के नाम समभाग 1/4, 1/4 से दर्ज की गयी थी जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित है तथा पुरूसिंह का 1/4 हिस्सा निहित है। अपीलांट का उक्त भूमि में 1/4 हिस्से के अलावा मृतक पुरूसिंह के हिस्से में कोई हिस्सा व हक नहीं है और न अपीलांट पुरूसिंह की उत्तराधिकारी है। अपीलांट को उक्त इंतकाल खारिज करवाने का कोई अधिकार नहीं है। खातेदार पुरूसिंह की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत सारथल ने नियमानुसार जांच कर मृतक पुरूसिंह के रेस्पो. क्रम 01 ता 03 का नाम कर सही इंतकाल खोला है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:52:29 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट का यह कहना कि मृतक सहखातेदार की मृत्यु होने पर उसका फोती इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलांट को सूचना देना चाहिये था, सर्वथा गलत है क्योंकि अपीलांट मृतक पुरूसिंह की उत्तराधिकारी नहीं है। इस कारण ग्राम पंचायत सारथल सहखातेदार को सूचना दिये जाने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है। वैसे भी ग्राम पंचायत सारथल द्वारा कोरम के समक्ष इंतकाल कानूनानुसार मृतक पुरूसिंह के लीगल वारिसान रेस्पो. क्रम 01 ता 03 के पक्ष में विधिसम्मत तरीके से तस्दीक किया है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी मृतक व्यक्ति के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी पुत्र, पुत्री विधवा पत्नी, मृतक पुत्र का पुत्र यानी पौत्र है। इस कारण मृतक पुरूसिंह की अपीलांट जो मृतक की माता है, प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी नहीं है। उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से थी किंतु जानबूझकर जानकारी न होना व जमाबंदी की दिनांक 05.12.2023 के प्राप्त करने पर जानकारी होने का तथ्य गलत अंकित किया है। अपील मियाद बाहर है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे तथा मृतक पुरूसिंह के रेस्पो. क्रम 01 ता 03 के पक्ष में खोला गया फोती इंतकाल नं. 1929 दिनांक 18.09.2003 यथावत रखे जाने का आदेश व निर्णय प्रदान किया जावें

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि उक्त अनुसूची के मुजब मृतक पुरूसिंह जी के पुत्री मनस्वी राठौर पत्नी डिम्पल कंवर एवं माता शिवकुमारी के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। गौरवी राठौड पुरूसिंह जी की पुत्री नहीं है लिहाजा गौरवी राठौर का नाम गलत तरीके से दर्ज किया गया है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज इस न्यायालय मे प्रस्तुत नही किये गये, जिससे यह साबित होता हो कि गौरवी राठौड पुरूसिंह जी की पुत्री नहीं है। वही अपीलान्ट पुरूसिंह जी की माता होने से उनका नाम बतौर वारिस दर्ज होना चाहिए था। लेकिन इन्तकाल निर्णित करते समय उनका नाम दर्ज ही नहीं किया गया। इस संबंध में विधिक व्यवस्था निम्न प्रकार हैं :–

Sec 8 of the Hindu succassion Act 1956

General rules of succession in the case of male

The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provision of this chapter

a. Firstly upon the heirs, being the reletavies in class I of the schedule Heir in class I son, daughter, widow, mother son of a pre deceased son, daughter of a pre deceased son, son of a pre deceased daguther, daughter of a pre deceased daughter, widow of a pre deceased son, son of a pre deceased son of a pre deceased son, daughter of a pre deceased son of a pre deceased son, widow of a pre deceased son of a pre deceased son.

रेस्पोडेंटगण के अभिभाषक का बहस मे मुख्य कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी मृतक व्यक्ति के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी पुत्र, पुत्री, विधवा पत्नी, मृतक पुत्र का पुत्र यानी पौत्र है। इस कारण मृतक पुरूसिंह की अपीलांट जो मृतक की माता है, प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी नहीं है। रेस्पो. क्रम 01 के पति व रेस्पो. क्रम 02 व 03 के पिता व सहखातेदार पुरूसिंह का देहावसान दिनांक 07.08.2023 को हो गया है और पुरूसिंह के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक की बेवा पत्नी डिंपल कंवर व उसकी पुत्री मनस्वी राठौड़ व गौरवी राठौर रेस्पो. क्रम 1 ता 3 के कानूनन एकमात्र वारिसान व उत्तराधिकारी मौजूद है। रेस्पो. क्रम 01 ता 03 के अलावा अन्य कोई कानूनन उत्तराधिकारी नहीं है।

उक्तानुसार प्रकरण में विवेचन पश्चात् अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1929 दिनांक 18.09.2023 वाके ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त विधिक वारिसान की जांच कर ... सिरे से विधिक प्रावधानों के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को ... इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:52:29 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ